

आदेश

मुख्य आरक्षी 872650479 कोहर सिंह को अनुकम्पा के आधार पर निजी व्यय पर जनपद गौतमबुद्धनगर से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नवीन ओखला औद्योगिक विकास, प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर में 02 वर्ष के लिये स्थानान्तरित किया जाता है। प्रतिनियुक्ति अवधि 02 वर्ष समाप्त होने के उपरान्त बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किये इन्हे इस मुख्यालय के प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ हेतु वापस कर दिया जाय। यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त सूची संख्या-एसपी-(ई-1)-(मु0आ0ना0पु0-प्रतिनियुक्ति)-354/2019 दिनांक: 09.09.2019 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है।

DGP HQRS UP LKW



PEB No.354/2019 DTD 09-09-2019

(अनिल कुमार) 09/9

पुलिस उपाधीक्षक, स्थापना,
कृते पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 लखनऊ

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या:-डीजी-चार-स्था0-354/2019/SS3

दिनांक:लखनऊ, 09, 2019

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त मुख्य आरक्षी को स्थानान्तरित स्थान हेतु कार्यमुक्त करते हुये सर्वसम्बन्धित को अवगत कराते हुए इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त मुख्य आरक्षी के आगमन की सूचना से सर्वसम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें एवं प्रतिनियुक्ति अवधि 02 वर्ष समाप्त होने के उपरान्त इस मुख्यालय के प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें। यदि कोई नीतिगत बाधा हो तो इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उत्तर प्रदेश।